324

संख्या1159/XXIV-3/2014-02(95)06

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक
एन0सी0सी0 निदेशालय
बंगला नं0 पी-4, नागनाथ रोड,
घंघोड़ा कैन्ट, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नूनरखेड़ा स्थित एन0सी0सी0 भवन के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3208/2014-15/13/वित्त दिनांक 28.08.2014 के क्रम में शासनादेश संख्या 355/XXIV-3/14/2(95)/2006 दिनांक 14.03.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में प्रश्नगत भवन निर्माण हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 195.38 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 44.82 लाख (रू0 चौवालीस लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर समक्ष अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
6. आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 2047/**XIV**-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

क्रमशः 2 पर

8. आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. कार्य की प्रगति की निरन्तरता व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। योजना की औचित्यपूर्ण धनराशि से ही कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर भवन प्रत्येक दशा में विभाग को हस्तगत कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित आंगणन पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाये जाने हेतु भी निर्देशित किया जाय।

12. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)2014–15 दिनाक 18.03.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 30–एन0सी0सी0 निदेशालय का भवन निर्माण' के अन्तर्गत मानक मद संख्या '24–वृहत् निर्माण कार्य' के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 318/XXVII(1)/2014–15 दिनांक 18 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 1159 /XXIV–3/2014-02(95)06 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
5. वित्त विभाग (अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम, देहरादून।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डॉ॰ एम॰ सी॰ जोशी)
सचिव।